कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम-2001 पर एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन

कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा ग्राम देवचरा, विकास खण्ड आलमपुर जाफराबाद, बरेली में पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाकृअप-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के संयुक्त निदेशक प्रसार शिक्षा डा. महेश चन्द्र द्वारा की गयी। अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में उन्होंने कृषकों का आहवान् किया कि आज के समय में किसान अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखें, जिससे खेती के साथ स्थानीय या चयनित पादप किस्मों का पंजीकरण कराके भी लाभ उठा सकें। आपने कृषकों से सोशल मीडिया से जुड़कर नवीन तकनीकियों को जानकर उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में संचालक श्री रंजीत सिंह ने सभी विशिष्ट अतिथियों, वैज्ञानिकों, कृषक महिलायों एवं छात्रों का स्वागत व आभार व्यक्त किया। कृषि विज्ञान केन्द्र. के विषय विशेषज्ञ श्री राकेश पाण्डेय ने पादप किस्म संरक्षण व कृषक अधिकार

अधिनियम 2001 के बारे में विस्तार से बताया कि किस प्रकार कृषक अपने पास उपलब्ध पुरानी प्रजातियों को पंजीकृत करा सकते हैं तथा इस संबंध में उनके क्या-क्या अधिकार हैं। डा. हीरा राम, वरिष्ठ वैज्ञानिक, पारजैविकी विभाग ने पशुओं में अन्तः व बाह्य परजीवियों के प्रबन्धन, डा. एस. महमूद, प्रधान वैज्ञानिक, पशु पुनरूत्पादन विभाग, ने पशुओं में बाॅझपन की समस्या व बार-बार गर्भाधान आदि प्रजनन संबंधी समस्याओं के निराकरण, डा. विश्वबंधु चतुर्वेदी, प्रधान वैज्ञानिक, पशु पोषण विभाग ने पशुओं में आहार व्यवस्था, चारा दाना व खनिज मिश्रण के संतुलित प्रयोग, डा. अखिलेश कुमार ने पशुओं में टीकाकरण व गर्मियों में सामान्य बीमारियों से बचाव के बारे में, डा. संजीव कोचेवाड़, वैज्ञानिक, पशुधन उत्पादन एवं प्रबन्धन ने पशुओं में थनैला , सामयिक बीमारियों एवं पशु प्रबन्धन के बारे में विस्तार से चर्चा की साथ ही पशुपालन आधारित एकीकृत कृषि माडल विकसित कर आय दोेगुनी करने के बारे में जानकारी दी। केनरा बैंक के सहायक प्रबंधक श्री विभोर गुप्ता ने बैंकों से ऋण लेना व किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में बताया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि व उस क्षेत्र के समाज सेवी श्री के.एन. सहगल ने इस कार्यक्रम को उपस्थित कृषकों के लिये बहुत महत्वपूर्ण बताया साथ ही कृषि विज्ञान केन्द्र, बरेली द्वारा रामगंगा पार के विकास खण्डों के कृषकों को ध्यान में रखते हुये ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिये सभी को धन्यवाद दिया। कृषकों को पौधा किस्म व कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम विषय पर चलचित्र साथ ही कृषि विज्ञान केन्द्र, बरेली के कृषकों की सफलता की कहानी का वीडियों भी दिखाया गया। कार्यक्रम के अन्त में डा. ब्रजपाल सिंह, प्रभारी, कृषि विज्ञान केन्द्र ने कार्यक्रम की उपयोगिता के बारे में बताया व कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी वैज्ञानिकों, कृषकों, महिलाओं , प्रेस मीडिया सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम में आलमपुर जाफराबाद, मझगंवा, क्यारा व रामनगर विकास खण्ड के लगभग 46 गाॅव के 504 कृषकों, महिलाओं एवं छात्रों ने भाग लिया।